संख्या–793 /XIX-1/14–32/2014

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग,
उत्तराखण्ड देहरादून।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अनुभाग–1 दिनांकः देहरादून अप्रैल 2015

विषयः– वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु, अनुदान संख्या–25 के लेखाशीर्षक 2408 के अन्तर्गत राज्य खाद्य आयोग एवं अधिष्ठान व्यय (खाद्य एवं पूर्ति) हेतु, वचनबद्ध/अवचनबद्ध मदों की धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, अपर मुख्य सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–400, /XXVII(1)/2015, दिनांक–01.04.2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 में अनुदान संख्या–25 के लेखाशीर्षक 2408 के अन्तर्गत राज्य खाद्य आयोग एवं 03 अधिष्ठान व्यय (खाद्य एवं पूर्ति) के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष में, क्रमशः वचनबद्ध/अवचनबद्ध मदों हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 6800 हजार (रू0 अड़सठ लाख मात्र) एवं रू0 372521 हजार (रू0 सैंतीस करोड़ पच्चीस लाख इक्कीस हजार मात्र) की धनराशि संलग्न प्रपत्र के अनुसार, आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है–

1– उपरोक्त मदों के अन्तर्गत आहरण एवं व्यय मासिक आधार पर, किश्तों में, वास्तविक व्यय/आवश्यकता के अनुरूप ही किया जायेगा एवं अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में, अधिकृत धनराशि से अधिक धनराशि कदापि व्यय नहीं की जायेगी एवं न ही अधिक व्यय भार सृजित किया जायेगा।

2– स्वीकृत धनराशि उसी मद में व्यय की जायेगी जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी भी दशा में, उक्त धनराशि का उपयोग, नई मदों के क्रियान्वयन हेतु नहीं किया जायेगा।

3– स्वीकृत धनराशि को व्यय करते समय, वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, स्टोर पर्चेज रूल्स एवं मितव्ययता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

–02–

4– स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय विवरण बी0एम0–13 पर नियमित रूप से शासन को आगामी माह के विलम्बतम 20 तारीख तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराया जायेगा।

5– यह सुनिश्चित किया जाय कि स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद में व्यय नहीं किया जायेगा, जिसके लिए, वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो, उस स्थिति में व्यय से पूर्व, सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

6– बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय एवं न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से, अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाय।

7– आयोजनेत्तर पक्ष में, बचत करने का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित कर, बचत किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

8– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 के आय व्ययक के अनुदान संख्या–25 के लेखाशीर्षक 2408 खाद्य भण्डारण तथा भण्डागारण–01 खाद्य–001 निदेशन तथा प्रशासन–03 अधिष्ठान व्यय–04 राज्य खाद्य आयोग एवं लेखाशीर्षक–2408 खाद्य भण्डारण तथा भण्डागारण–01 खाद्य–001 निदेशन तथा प्रशासन–03 अधिष्ठान व्यय (खाद्य एवं पूर्ति) की सुसंगत मदों के नामे डाला जायेगा।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीया,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव।

संख्या–793 /XIX-1/15–32/2014 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3– अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4– वित्त नियंत्रक, खाद्यायुक्त कार्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5– समन्वयक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
6– वित्त अनुभाग–5/1, उत्तराखण्ड शासन।
7– नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आन सिंह बोरा)
अनुसचिव।